संख्या–813/79–6–2018–765/2010

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 25 मई, 2018

विषयः–वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक–कम–हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय मद की प्रथम किस्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या–म0भो0प्रा0/67/2018–19 दिनांक 06.04.2018 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम–कुकिंग लागत आदि योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के कार्यरत 112356 कुक–कम–हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय हेतु केन्द्रांश के रूप में धनराशि रू0–1685.34 लाख (रू0 सोलह करोड़ पच्चासी लाख चौतीस हजार मात्र) एवं राज्यांश के रूप में धनराशि रू0–1123.56 लाख (रू0 ग्यारह करोड़ तेइस लाख छप्पन हजार मात्र) अर्थात कुल रू0–2808.90 लाख (रूपया अटठाईस करोड आठ लाख नब्बे हजार मात्र) की प्रथम किस्त के रूप में संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार व्यय किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) की सेवाएं वर्ष में केवल 10 माह के लिए ही ली जायेंगी ।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार तथा उपलब्ध केन्द्रांश सीमा के अन्तर्गत किया जाएगा ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों /प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद के लिए स्वीकृति निर्गत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपभोग करने पर विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगें।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जाति के चिहिंत कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) को मानदेय 10 माह के लिये दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(6) संबंधित जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की दशा में मध्यान्ह भोजन निधि में उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि एन0जी0ओ0, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खाते में उपलब्ध कराया जाएगा ।

(7) मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक–कम–हेल्पर को मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा एवं इस हेतु संबंधित कुक–कम–हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

(8) उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि आगामी किस्त की धनराशि का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पूर्व केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त कर लेगें तथा योजना में पूर्व में स्वीकृति की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जनपदों से प्राप्त कर प्रस्तुत करेगें।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष '2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना –01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं– 0103–मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–कुकिंग लागत आदि (के.60/रा.40–के.+रा.) –20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)' मद के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–11 के अशासकीय सं0–ई–11–717/दस–18 दिनांक– 25 मई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–813(1)/79–6–2017–765/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3– श्रमायुक्त, कानपुर ।
4– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
5– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।
6– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
7– वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
8– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–11।
10– वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ शिक्षा विभाग।
11– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
12– समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
13– समस्त वित्त एंव लेखाधिकारी, बेसिक,उ0प्र0।
14– बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
15– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

शासन-109
MDM

संख्या–813 / 79–6–2018–765 / 2010

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 25 मई, 2018

विषयः–वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक–कम–हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय मद की प्रथम किस्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या–म0भो0प्रा0 / 67 / 2018–19 दिनांक 06.04.2018 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम–कुकिंग लागत आदि योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के कार्यरत 112356 कुक–कम–हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय हेतु केन्दांश के रूप में धनराशि रू0–1685.34 लाख (रू0 सोलह करोड़ पच्चासी लाख चौतीस हजार मात्र) एवं राज्यांश के रूप में धनराशि रू0–1123.56 लाख (रू0 ग्यारह करोड़ तेइस लाख छप्पन हजार मात्र) अर्थात कुल रू0–2808.90 लाख (रूपया अटठाईस करोड आठ लाख नब्बे हजार मात्र) की प्रथम किस्त के रूप में संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार व्यय किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) की सेवाएं वर्ष में केवल 10 माह के लिए ही ली जायेंगी ।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय / उपयोग एस0सी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार तथा उपलब्ध केन्द्रांश सीमा के अन्तर्गत किया जाएगा ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों / प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय / उपभोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद के लिए स्वीकृति निर्गत की जा रही है। इससे इतर व्यय / उपभोग करने पर विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगें।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जाति के चिहिंत कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) को मानदेय 10 माह के लिये दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(6) संबंधित जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की दशा में मध्यान्ह भोजन निधि में उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि एन0जी0ओ0, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खाते में उपलब्ध कराया जाएगा ।

(7) मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक–कम–हेल्पर को मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा एवं इस हेतु संबंधित कुक–कम–हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

(8) उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि आगामी किस्त की धनराशि का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पूर्व केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त कर लेगें तथा योजना में पूर्व में स्वीकृति की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जनपदों से प्राप्त कर प्रस्तुत करेगें।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष '2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना –01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं– 0103–मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–कुकिंग लागत आदि (के.60 / रा.40–के.+रा.) –20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)' मद के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–11 के अशासकीय सं0–ई–11–717/दस–18 दिनांक– 25 मई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–813(1)/79–6–2017–765/2010 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3– श्रमायुक्त, कानपुर ।
4– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
5– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।
6– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
7– वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
8– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–11।
10– वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ शिक्षा विभाग।
11– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
12– समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
13– समस्त वित्त एंव लेखाधिकारी, बेसिक,उ0प्र0।
14– बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
15– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

Enclosure of G.O.

[Mid-Day-Meal Scheme]
Fund Allocation for Honorarium to Cook-cum-helper
FY 2018-19: Grant-83: Ist Installment

(Rs. In Lac)

S.N.	Districts	No. of cook-cum-helper in SCP Category as given by districts in QPR of 3rd Qtr.	Funds for Honorarium to cook-cum-helper Being Released as First Installment @Rs. 1000/- per cook per month		
			Central	State	Total
1	2	3	4	5	6=4+5
1	01-Agra	1118	16.76	11.18	**27.94**
2	02-Aligarh	1303	19.54	13.03	**32.57**
3	03-Allahabad	5134	77.00	51.34	**128.34**
4	04-Ambedkar nagar	1422	21.32	14.22	**35.54**
5	05-Auraiya	455	6.82	4.55	**11.37**
6	06-Azamgarh	4024	60.35	40.24	**100.59**
7	07-Badaun	1063	15.94	10.63	**26.57**
8	08-Baghpat	338	5.06	3.38	**8.44**
9	09-Bahraich	2729	40.93	27.29	**68.22**
10	10-Ballia	1528	22.91	15.28	**38.19**
11	11-Balrampur	762	11.42	7.62	**19.04**
12	12-Banda	1581	23.71	15.81	**39.52**
13	13-Barabanki	1363	20.44	13.63	**34.07**
14	14-Bareily	736	11.03	7.36	**18.39**
15	15-Basti	1424	21.35	14.24	**35.59**
16	16-Bhadohi	955	14.32	9.55	**23.87**
17	17-Bijnour	2027	30.40	20.27	**50.67**
18	18-Bulandshahar	1755	26.32	17.55	**43.87**
19	19-Chandauli	2315	34.72	23.15	**57.87**
20	20-Chitrakoot	1303	19.55	13.03	**32.58**
21	21-Amethi	1090	16.35	10.90	**27.25**
22	22-Deoria	1684	25.26	16.84	**42.10**
23	23-Etah	649	9.74	6.49	**16.23**
24	24-Faizabad	1532	22.98	15.32	**38.30**
25	25-Farrukhabad	216	3.24	2.16	**5.40**
26	26-Fatehpur	2175	32.63	21.75	**54.38**
27	27-Firozabad	455	6.83	4.55	**11.38**
28	28-G.B. Nagar	0	0.00	0.00	**0.00**
29	29-Ghazipur	2242	33.63	22.42	**56.05**
30	30-Ghaziyabad	500	7.50	5.00	**12.50**
31	31-Gonda	1657	24.86	16.57	**41.43**
32	32-Gorakhpur	3437	51.56	34.37	**85.93**
33	33-Hameerpur	904	13.56	9.04	**22.60**
34	34-Hardoi	2814	42.21	28.14	**70.35**
35	35-Hathras	922	13.83	9.22	**23.05**
36	36-Itawah	240	3.60	2.40	**6.00**
37	37-J.P. Nagar	854	12.81	8.54	**21.35**
38	38-Jalaun	1037	15.56	10.37	**25.93**
39	39-Jaunpur	1655	24.83	16.55	**41.38**
40	40-Jhansi	1466	21.99	14.66	**36.65**
41	41-Kannauj	195	2.93	1.95	**4.88**
42	42-Kanpur Dehat	388	5.82	3.88	**9.70**

(मुमताज अहमद)
वित्त नियंत्रक
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण
लखनऊ

Enclosure of G.O.

[Mid-Day-Meal Scheme]

Fund Allocation for Honorarium to Cook-cum-helper

FY 2018-19: Grant-83: Ist Installment

(Rs. In Lac)

S.N.	Districts	No. of cook-cum-helper in SCP Category as given by districts in QPR of 3rd Qtr.	Funds for Honorarium to cook-cum-helper Being Released as First Installment @Rs. 1000/- per cook per month		
			Central	State	Total
1	2	3	4	5	6=4+5
43	43-Kanpur Nagar	1161	17.42	11.61	**29.03**
44	44-Kaas Ganj	370	5.55	3.70	**9.25**
45	45-Kaushambi	1352	20.28	13.52	**33.80**
46	46-Kushinagar	3567	53.51	35.67	**89.18**
47	47-Lakhimpur Kheri	2597	38.96	25.97	**64.93**
48	48-Lalitpur	555	8.33	5.55	**13.88**
49	49-Lucknow	2232	33.48	22.32	**55.80**
50	50-Mahoba	674	10.11	6.74	**16.85**
51	51-Mahrajganj	2298	34.47	22.98	**57.45**
52	52-Mainpuri	329	4.94	3.29	**8.23**
53	53-Mathura	39	0.59	0.39	**0.98**
54	54-Mau	1852	27.78	18.52	**46.30**
55	55-Meerut	899	13.49	8.99	**22.48**
56	56-Mirzapur	2861	42.92	28.61	**71.53**
57	57-Moradabad	1679	25.19	16.79	**41.98**
58	58-Muzaffarnagar	884	13.26	8.84	**22.10**
59	59-Pilibhit	1281	19.22	12.81	**32.03**
60	60-Pratapgarh	1528	22.92	15.28	**38.20**
61	61-Rai Bareily	2386	35.79	23.86	**59.65**
62	62-Rampur	1462	21.93	14.62	**36.55**
63	63-Saharanpur	1810	27.15	18.10	**45.25**
64	64-Santkabir Nagar	1369	20.54	13.69	**34.23**
65	65-Shahjahanpur	2263	33.95	22.63	**56.58**
66	66-Shrawasti	997	14.96	9.97	**24.93**
67	67-Siddharthnagar	3046	45.69	30.46	**76.15**
68	68-Sitapur	3739	56.09	37.39	**93.48**
69	69-Sonbhadra	1520	22.80	15.20	**38.00**
70	70-Sultanpur	1720	25.80	17.20	**43.00**
71	71-Unnao	1593	23.90	15.93	**39.83**
72	72-Varanasi	2451	36.77	24.51	**61.28**
73	73-Sambhal	1315	19.73	13.15	**32.88**
74	74-Hapur	653	9.80	6.53	**16.33**
75	75-Shamli	427	6.41	4.27	**10.68**
	TOTAL	**112356**	**1685.34**	**1123.56**	**2808.90**

(मुमताज अहमद)
वित्त नियंत्रक
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण
लखनऊ

(अनु सचिव)
उत्तर प्रदेश शासन